न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)
पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी –
श्रवणराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बावड़ी तहसील नावां।

बनाम

प्रतिवादी –
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादी
तहसीलदार नावां।

मुकदमा नम्बरः 194 / 2023 निर्णय दिनांक :– 09.12.2023

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम बावड़ी (शिम्भुपुरा) तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 12, 132, 18, 414 / 12 कुल रकबा 7.70 हैक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि में वादी की 223 / 770 हिस्सा की भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि में वादी का नाम श्रवरणराम पुत्र लालूराम हिस्सा 223 / 770 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चला आ रहा है। वादी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, अंकतालिका, पेन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र में पिता का नाम लालाराम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम लालाराम के स्थान पर लालूराम लिपिकीय भूल से अंकित हो गया है जिसको दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में लालाराम करवाने का वादी कानूनी अधिकारी है। इसलिए उक्त भूमि में श्रवणराम पुत्र लालूराम के स्थान पर श्रवणराम पुत्र लालाराम की डिक्री बहक वादी फरमाने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार नावां ने जवाब मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में श्रवणराम पुत्र लालूराम दर्ज है जबकि उनके पहचान दस्तावेजों में श्रवणराम पुत्र लालाराम दर्ज है। उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है एवं श्रवणराम पुत्र लालाराम किया जाना उचित बताया है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में वादी का आधार कार्ड, अंकतालिका, पेन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र की प्रतियां पेश की।

उभयपक्षकारान को सुना गया। [illegible] पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार राजस्व ग्राम बावड़ी (शिम्भुपुरा) तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 12, 132, 18, 414 / 12 कुल रकबा 7.70 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव तहसीलदार नावां की

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम श्रवणराम पुत्र लालूराम के स्थान पर श्रवणराम पुत्र लालाराम घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम बावड़ी (शिम्भुपुरा) तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 12, 132, 18, 414 / 12 कुल रकबा 7.70 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम श्रवणराम पुत्र लालूराम के स्थान पर श्रवणराम पुत्र लालाराम घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

अदालतः— उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना—कुचामन, राज.
अज अदालत :— श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी —

श्रवणराम पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बावड़ी तहसील नावां।

वनाम

प्रतिवादी —

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।

मुकदमां नम्बर :— 194/2023 — निर्णय दिनांक :— 09.12.2023

इनफिसाल कतई रूवरू.....बहाजरी श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता वादी को डिक्री दी जाती हैं कि :—

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि राजस्व ग्राम बावड़ी (शिम्भुपुरा) तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर के नवीन खसरा नम्बर 12, 132, 18, 414/12 कुल रकबा 7.70 हैक्टर भूमि में वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर वादी का नाम श्रवणराम पुत्र लालूराम के स्थान पर श्रवणराम पुत्र लालाराम घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नावां को आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखतः

ओहदा : उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL	स्टम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक	NIL	NIL
मीलान	NIL	NIL	मीजान	NIL	NIL

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested